

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस
राजस्व अपील :: 35/2024
जीसीएमएस. नम्बर :: 2024/144

अपीलाण्ट :- बनाम रेस्पोंडेण्ट्स :-
श्री पेमाराम पुत्र गुलाराम, जाति राजस्थान सरकार जरिये
पटेल, निवासी- ग्राम अरटिया तहसीलदार रोहट, जिला पाली।
तहसील रोहट, जिला पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पंचारिया
सरकारी पैरोकार अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना

-: निर्णय :-

दिनांक :- 30.12.2024



जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरुद्ध तहसीलदार रोहट के प्रकरण संख्या 02/2023 में पारित आदेश दिनांक 30.04.2024 को निरस्त करवाने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पंचारिया व सरकारी पैरोकार वक्त बहस उपस्थित हुए। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने अपील मीमो व वक्त बहस कथन किया कि ग्राम अरटिया के खसरा संख्या 94 की सम्पूर्ण भूमि पर अपीलाण्ट के परिवारजन के नाम संवत् 2080 में अपीलाण्ट द्वारा कब्जा करने की एक रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा तहसील कार्यालय में करने पर धारा 91 एल.आर. अधिनियम का प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट को पेशी दिनांक 27.03.2024 का नोटिस जारी किया। उक्त नोटिस व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं करवाया गया तथा अपीलाण्ट को बिना नोटिस तामील करवाये उसके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश उक्त भूमि पर खड़ी फसल को कुडक कर नीलामी राशि प्राप्त होने पर उक्त भूमि से गैरसायल को बेदखल कर जुर्माना राशि वसूल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया जो विधि विरुद्ध होने से काबिले खारिज है। अपीलाधीन आदेश पारित करने में अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया। उक्त प्रकरण के साथ एक अन्य प्रकरण जो अपीलाण्ट के पिता पेमाराम का नोटिस तामील होने पर उससे अपीलाण्ट के पिता पेमाराम की ओर से लिखित में जवाब मय दस्तावेज तथा खसरा संख्या 94 की भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 24.06.1986 मय पासबुक मानदास पुत्र जगन्नाथदास पेश की जो जवाब रिकॉर्ड पर लिया गया तथा उक्त जवाब मय दस्तावेज का बिना अवलोकन किये एवं आवंटन आदेश का बिना अवलोकन किये तथा उक्त भूमि से संबंधित विचाराधीन राजस्व वाद का बिना अवलोकन किये एवं उक्त सभी दस्तावेजात को नहीं मानने का

कारण दर्ज किये बिना दिनांक 30.04.2024 को जैर अपील आदेश अपीलाण्ट को नोटिस में दर्ज भूमि से बेदखल व जुर्माना आरोपित करने का आदेश पारित किया। जो आदेश प्रथम दृष्ट्या रिजण्ड एवं स्पीकिंग आदेश नहीं है। तथा विधिक रूप से उक्त भूमि खसरा संख्या 94 जो मानदास पुत्र जगनाथदास को आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के द्वारा आवंटित की गई जिसमें उसके आवंटन खसरा संख्या रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा भूमि का दर्ज है लेकिन राजस्व कर्मचारियों की अनदेखी की वजह से उक्त भूमि राजस्व रेकॉर्ड में अब तक सिवायचक दर्ज होती रही लेकिन आवंटन आदेश आज तक प्रभावी है। अतः जैर अपीलाधीन आदेश बिना राजस्व रेकॉर्ड की जांच व सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही पारित किया गया जो विधि विरुद्ध होने से काबिले खारिज है। अतः जैर अपीलाधीन आदेश खारिज फरमावे।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय मियाद अधिनियम, शपथ-पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना-पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते हैं।

प्रकरण में समायतशुदा बहस एवं अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकॉर्ड का मनन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलाण्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार रोहट द्वारा धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलाण्ट को बेदखली के आदेश दिनांक 30.04.2024 के विरुद्ध पेश की गई है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अखंडित व व्याप्त परिस्थितियों के सन्दर्भ में प्रार्थना-पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थना-पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते हैं।

अब हम अपीलाण्ट द्वारा लिये गये अपील उज्रों एवं लिखित बहस के दौरान किये गये लिखित कथनों पर बिन्दुवार विवेचन करना उचित समझते हैं :-

अपीलाण्ट का प्रथम कथन यह है कि विवादित भूमि जिसकी राजस्व रिकॉर्ड में बिलानाम दर्ज उक्त भूमि का दिनांक 24.06.1986 को किसी मानदास पुत्र जगन्नाथ निवासी अरटिया को आवंटन की गई थी। उक्त आवंटन आदेश की कोई प्रमाणित प्रतिलिपि इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है तथा न्यायालय, सहायक कलेक्टर रोहट के न्यायालय में एक वाद विचाराधीन होना भी बताया है परन्तु उक्त वाद किन पक्षकारों के मध्य, कब से लम्बित है व किन धाराओं में प्रचलित है, इस बाबत कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया है। आश्चर्यजनक रूप से अपीलाण्ट यह भी उज्र करता है कि मानदास को आवंटित भूमि को मानदास को आवंटित होने के आधार पर वह अपना बचाव चाहता है जबकि उक्त भूमि के मानदास को विधिवत रूप से आवंटित होना एवं वर्ष 1986 से लगभग 38 वर्षों तक उसके नाम उक्त भूमि दर्ज नहीं होने व भूमि बिलानाम ही होना स्पष्ट होता है। क्षणमात्र के लिये यदि जैर आराजी तर्क के लिए मानदास की हो तो भी अपीलाण्ट उक्त भूमि जो कि राजस्व रिकॉर्ड में बिलानाम दर्ज है उस पर अतिक्रमी क्यों नहीं माना जावे। इसका कोई बोधगम्य एवं तर्कसंगत आधार नहीं दिया है। अपीलाण्ट को उक्त भूमि को धारण करने का क्या locus standai है यह भी उसने कही व्यक्त नहीं किया है। अपीलाण्ट विवादित भूमि पर अपने 40 वर्ष से अधिक समय का कब्जा बताता है परन्तु राजकीय भूमि पर प्रतिकूल कब्जे का सिद्धान्त लागू नहीं



जिला कलेक्टर, ग्वालियर

होता न ही 40 वर्षों के कब्जे की कोई साक्ष्य अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह अपीलान्ट का यह तर्क भी मान्य नहीं है। अपीलान्ट का अन्य उज्र कि अपीलाधीन आदेश पारित करते समय उसे विधिवत सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने का व्यक्त किया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है तथा उसने जवाब भी प्रस्तुत किया है। वह स्वयं भी यह स्वीकार करता है कि उसने जुर्माना राशि जमा करवा दी है तथा फसल नीलामी कार्रवाई पर उसके हस्ताक्षर हैं। जैर आराजी राजस्व रिकॉर्ड में बिलानाम दर्ज है तथा अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कोई locus standai होना या विधिक अधिकार होना या किसी न्यायालय का आवंटन आदेश होना पुष्ट नहीं है न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है।

अतएव अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील में कोई सार नहीं है व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.04.2024 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 02/2023 में हम कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील-अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)

जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

